सिविल अपील

टेक चंद, न्यायमूर्ति के समक्ष

चंदर कांता उर्फ चंदर *वाटी- अपीलकर्ता*

बनाम

दयाल चंद, - उत्तरदाता

1966 के एफ.ए.ओ. 21- एम

1 मार्च, 1968

हिंदू विवाह अधिनियम (1955 का XXV) - धारा 9 - पति द्वारा वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए याचिका - इस तरह के आवेदन को मंजूरी देने की आवश्यकताएं - पत्नी पर अभद्र और झूठे आरोप लगाए गए - क्या उसे अपने पति के साथ रहने से इनकार करने के लिए उचित बहाना मिलता है - साक्ष्य अधिनियम (1872 का I) - एस। 8— पत्नी अपने भाई को लिखे पत्रों में अपने पति के साथ दुर्व्यवहार और क्रूरता की शिकायत करती है- ऐसे पत्र जो स्वीकार्य हों या नहीं। यह माना गया कि पति द्वारा वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए याचिका देने के लिए कानूनी आवश्यकता यह देखना है कि क्या पत्नी उचित कारण के बिना पति के समाज से हट गई है, और दूसरी आवश्यकता यह है कि अदालत को ऐसी याचिका में दिए गए बयानों की सच्चाई से संतुष्ट होना चाहिए, और अंत में, कोई कानूनी आधार नहीं होना चाहिए कि राहत क्यों नहीं दी जानी चाहिए। पति को क्षतिपूर्ति प्रदान करते समय यह देखा जाना चाहिए कि क्या पत्नी के लिए पति को छोड़ने का कोई उचित कारण था, जहां एक उचित बहाना मौजूद है, अदालत अपने विवेक से राहत से इनकार कर सकती है। जहां एक पत्नी अपने पति के घर में आत्म-सम्मान और गरिमा के साथ नहीं रह सकती है, और जहां उस पर अभद्र और झूठे आरोप और अपमान किए जाते हैं, जो उसे अपने पति के साथ रहने से इनकार करने के लिए एक उचित बहाना प्रस्तुत करेगा।

(पैरा 14)

अभिनिर्धारित किया कि शिकायत और बयान के बीच अंतर को सामने लाया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति दुर्व्यवहार या हमले की शिकायत करता है, तो शिकायत करना आचरण के रूप में प्रासंगिक सबूत है। केवल एक बयान और एक शिकायत के बीच का अंतर मौलिक महत्व का है। शिकायत भावनाओं को व्यक्त करने वाली होती है और सजा के निवारण के उद्देश्य से एक नंगे बयान के विपरीत की जाती है और इसे किसी अधिकारी जैसे पुलिस या माता-पिता या किसी अन्य व्यक्ति को किया जा सकता है, जिसके लिए शिकायत उचित रूप से सहायता और सुरक्षा की तलाश करने का हकदार है। शिकायत ो को दर्ज करने और दुर्व्यवहार से सुरक्षा की मांग करने वाली पार्टी का आचरण इस बात का सबूत है कि *यह कैसे हो सकता है।* इसलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों के मद्देनजर अपने भाई को संबोधित पत्नी द्वारा अपने पति के खिलाफ दुर्व्यवहार और क्रूरता की शिकायत करने वाले पत्र स्वीकार्य हैं।

(पैरा 7)

हिसार के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश श्री बनवारी लाल सिंघल के दिनांक 7 जनवरी, 1966 के आदेश और डिक्री से पहली अपील, जिसमें *पत्नी के खिलाफ पति के पक्ष में वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए डिक्री प्रदान की गई।*

हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए याचिका।

बी.एस. गुप्ता, वकील, अपीलकर्ता के लिए।

प्रतिवादी की ओर से वकील टी इराथ एस इंजीएच।

टेक चंद, न्यायमूर्ति—हिसार के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के आदेश से यह पहली अपील है, जिसमें डायल चंद के पक्ष में उसकी पत्नी श्रीमती चंदर कांता उर्फ चंदर वती के खिलाफ वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए डिक्री पारित की गई है। दोनों पक्षों का विवाह 20 जून, 1963 को हुआ और 31 दिसम्बर, 1964 को एक पुत्री का जन्म हुआ तथा 19 जुलाई, 1965 को पति द्वारा हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए आवेदन किया गया। पति का मामला यह था कि दोनों पक्ष हिसार में रह रहे थे और फरवरी, 1965 तक उनके संबंध सौहार्दपूर्ण थे। इसके बाद पत्नी ने उसके साथ झगड़ा शुरू कर दिया और हिसार में अपनी मां के साथ रहने के लिए अपने पति का घर छोड़ दिया। ऐसा उसने उसकी अनुमति के बिना किया और पंचायतों द्वारा उसे मनाने के प्रयासों के बावजूद उसने वापस आने से इनकार कर दिया। पति का तर्क यह है कि चूंकि उसकी पत्नी ने उचित बहाने के बिना खुद को अपने समाज से वापस ले लिया था, इसलिए वह वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए डिक्री का हकदार था।

(2) पत्नी ने आवेदन का विरोध किया और कहा कि उसके पति और उसकी मां द्वारा शादी की शुरुआत से ही उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। उत्तरार्द्ध उस दहेज से संतुष्ट नहीं था जो वह लाया था। उसे हिंसा के कृत्यों के अधीन किया गया था और इससे संतुष्ट नहीं होने पर, पति ने व्यभिचार के आरोप लगाए थे जो बिल्कुल झूठे थे और बिना किसी आधार के थे। इसी बहाने वह उसके साथ बदसलूकी करता था। उसे शारीरिक और मानसिक क्रूरता के अधीन किया गया था, जिससे उसके मन में एक उचित आशंका पैदा हुई कि उसके लिए अपने पति के साथ रहना हानिकारक और हानिकारक होगा। पति ने उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने की धमकी दी जब वह उसकी मां के पास आया था, जिसके साथ वह रह रही थी और यहां तक कि उसे उसकी मां के घर से खींचने के लिए बल का इस्तेमाल भी किया। शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के आधार पर उसने आवेदन का विरोध किया। ट्रायल कोर्ट ने निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए: –

1. क्या आवेदक प्रतिवादी के प्रति क्रूर रहा है और यदि हां, तो किस प्रभाव से?
2. क्या उत्तर का उचित सत्यापन किया गया है और यदि नहीं, तो इसका क्या प्रभाव है?
3. अनुतोष

चूंकि दूसरे मुद्दे पर जोर नहीं दिया गया था, इसलिए इस पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया था। पार्टियों के नेतृत्व में सबूतों पर अब विचार किया जा सकता है। चूंकि जिम्मेदारी प्रतिवादी पर रखी गई थी, इसलिए पहले उसके गवाह से पूछताछ की गई।

(3) प्रतिवादी ने अपना बयान आर.डब्ल्यू.4 के रूप में दिया और कहा कि उसकी शादी के तुरंत बाद, उसके पति ने कहा कि वह कलाई घड़ी चाहता है और जो रेडियो सेट उसे दिया गया था वह घटिया गुणवत्ता का था। वह अपनी मां को यह बताना चाहती थी। लेकिन मां ने रेडियो बदलने से इनकार कर दिया क्योंकि वह पहले ही अपनी शादी पर लगभग 4,000 रुपये या 5,000 रुपये खर्च कर चुकी थीं। अपनी शादी के बाद, वह अपने पति के साथ रहने के लिए उत्सुक थी जो होशियारपुर में सेवा कर रहा था, लेकिन उसकी सास उसे अपने पति के साथ रहने नहीं देती थी। अच्छा दहेज नहीं मिलने के कारण पति उससे नाराज महसूस करता था। उसने शादी के एक हफ्ते बाद उसे अपनी मां से मिलने से मना किया और जब उसने जाने की जिद की तो उसे पीटा गया। उसने यह भी शिकायत की कि उसे बार-बार पीटा जाता था और उसका पति रेडियो की मात्रा बढ़ा देता था ताकि उसके रोने की आवाज बाहर न सुनी जा सके। उसने अपने बड़े भाई धर्म चंद से अपने क्रूर व्यवहार की शिकायत की थी। उसके पिता की कुछ समय पहले मौत हो गई थी। जिरह के दौरान उसने बताया कि उसने टेलरिंग में डिप्लोमा किया है और कपड़े सिलकर अपना भरण-पोषण करती है। जिरह के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उनके पति उन पर अपने वकील श्री मोहन लाल के साथ अवैध संबंध रखने का आरोप लगा रहे थे और वह उन पर खराब चरित्र के सामान्य आरोप भी लगाते थे। उसने कहा कि वह उसे बता रही थी कि मोहन लाल उसके लिए भाई की तरह था और उसके भाई धरम चंद का दोस्त था। उसने दिल्ली में रहने वाले अपने भाई को पत्र लिखकर अपने पति से दुर्व्यवहार की शिकायत की थी।

(4) उसका पहला गवाह हिसार के एक नगर आयुक्त हैं, श्री गिरधारी लाई का घर उनकी मां के सबसे करीब है । उन्होंने जुलाई या अगस्त, 1965 की एक घटना का उल्लेख किया। जब वह अपनी दुकान से अपने घर लौटा था, तो उसे सूचित किया गया कि चंदर कांता उसके घर आई हुई है और उसका पति और कुछ अन्य महिलाएं उसके घर के बाहर मौजूद हैं। पति ने गवाह से चंदर कांता को बाहर लाने के लिए कहा लेकिन उसने उसे अपना आपा नहीं खोने की सलाह दी और विवाद को शांति से सुलझा ना चाहिए। इस गवाह और कुछ अन्य लोगों के हस्तक्षेप पर, पंचायत बुलाई गई जहां एक मौखिक समझौता हुआ और यह निर्णय लिया गया कि पति अपनी पत्नी को रात 8.00 बजे अपनी मां के घर से अपने घर ले जाने के लिए स्वतंत्र होगा। जिरह में इस गवाह ने कहा कि पति अपनी पत्नी को अपने घर ले जाना चाहता था जब

उसने उसे अपने घर से बाहर लाने के लिए कहा था। पंचायत की बैठक रात 8.00 बजे चंदर कांता की मां के घर में हुई। पति अपनी सास के घर आया हुआ था लेकिन चंदर कांता पहले ही अपने भाई धर्म चंद के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी थी।

(5) अगला गवाह मुल्तानी राम, आर.डब्ल्यू. 2 है, जो चंदर कांता की मां के बगल में रहने वाला पड़ोसी है। उन्होंने कहा कि 4 जुलाई, 1965 को पति दोपहर में अपनी सास के घर आया था और उससे अपनी पत्नी को उसके साथ भेजने के लिए कहा और उसने उससे कहा कि चूंकि उसका बेटा धरम चंद और चंदर कांता का भाई दिल्ली में है, इसलिए चंदर कांता को पति के साथ भेजने से पहले हिसार में उसकी उपस्थिति में मामले का फैसला किया जाना चाहिए। इस अवसर पर अप्रिय स्थिति थी और पति ने चंदर कांता को उसकी बांह से पकड़ लिया और उसे अपने घर ले जाने के लिए खींचने का प्रयास किया। इसके बाद चंदर कांता ने अपनी मां की बांह पकड़ ली ताकि उसे जबरन घर से बाहर न निकाला जा सके। एक मदन ने उन्हें अलग किया और उसके बाद चंदर कांता और उसकी मां ने आर.डब्ल्यू.1, श्री गिरधारी लाल, नगर आयुक्त के घर में प्रवेश किया। वहां बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए थे। पति के दोस्त बताए जा रहे सुरिंदर ने इस मौके पर चंदर कांता के चरित्र के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिरह के दौरान उसने कहा कि चंदर कांता को पति ने उसकी बांह पकड़कर घर के बाहर धकेल दिया और घटना के एक हफ्ते बाद पंचायत उसकी मां के घर आई। उन्होंने उस समझौते के बारे में भी गवाही दी, जिसके तहत यह सहमति बनी थी कि उसका पति उसे उसके घर से रात 8.00 बजे ले जाए, लेकिन उससे पहले ही उसका भाई धर्म चंद उसके साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गया था।

(6) आर.डब्ल्यू. 3 धरम चंद है, जो चंदर कांता का भाई है। उन्होंने कहा कि उनकी बहन अपने पति से मिलने वाले दुर्व्यवहार की शिकायत कर रही थी। उन्हें अपनी बहन से आर/एल से आर/4 के पत्र प्राप्त हुए। वह हिसार आया और पाया कि उसकी बहन का स्वास्थ्य कमजोर था और वह रो रही थी और जिस तरह से उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था, उसकी शिकायत की। वह पति से मिला जिसने अपनी झुंझलाहट व्यक्त की और उसे उसके चरित्र के खिलाफ अपने संदेह से अवगत कराया। जिरह में धर्म चंद ने बताया कि पति के घर चंदर कांता के घर बेटी का जन्म हुआ था। उन्होंने यह भी कहा कि पति को संदेह था कि उसके वकील मोहन लाल के चंदर कांता के साथ अवैध संबंध थे। उन्होंने यह भी कहा कि यह शिकायत पति ने दो साल पहले उनसे की थी और यह दिसंबर 1963 में होगी। उसने पंचायत को यह भी बताया कि पति कह रहा था कि उसे अपनी पत्नी के मोहन लाल और अन्य लोगों के साथ अवैध संबंध होने का संदेह था। धरम चंद ने कहा कि यह तय किया गया था कि वह

अपनी बहन को उस तारीख को शाम 5.00 बजे दिल्ली ले जाएं।

(7) अपने भाई को संबोधित पत्रों में, चंदर कांता ने दुर्व्यवहार और अपमान पर अपनी कड़वाहट व्यक्त की है और अपने बड़े भाई से आकर उसकी रक्षा करने की भीख मांग रही है। उन्होंने उन गालियों और अन्य दुर्व्यवहारों का उल्लेख किया है जो उनके साथ किए जा रहे हैं और जो असहनीय होते जा रहे हैं, विशेष रूप से उनकी पवित्रता के संदेह के लिए। उसने यह भी शिकायत की कि उसका पति कुछ हताश पात्रों के साथ आया और उसकी मां के घर में जबरन घुसने की कोशिश की और उस पर हमला करने के लिए दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया। उसके पत्रों से पता चलता है कि वह क्रूरता, दुर्व्यवहार और अपने पति द्वारा उसके चरित्र के खिलाफ लगाए गए आरोपों के आरोप लगा रही थी।

निचली अदालत ने इन चार पत्रों के सबूतों पर विचार करने से इनकार कर दिया है क्योंकि उनके अनुसार, वे उनके अपने पक्ष में प्रवेश थे और इस तरह, सबूत में स्वीकार्य नहीं थे। इनमें से एक पत्र प्रदर्शनी आर/2 दिनांक 13 नवम्बर, 1964 का है। यह उस समय लिखा गया था जब वह गर्भावस्था के उन्नत चरण में थी। सात सप्ताह बाद एक बेटी का जन्म हुआ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, पत्र, जहां तक वे उसके आचरण को इंगित करते हैं, अस्वीकार्य नहीं हैं। शिकायत और बयान के बीच अंतर किया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति दुर्व्यवहार या हमले की शिकायत करता है, तो शिकायत करना आचरण के रूप में प्रासंगिक सबूत है। केवल एक बयान और एक शिकायत के बीच का अंतर मौलिक महत्व का है। शिकायत भावनाओं को अभिव्यक्त करने वाली होती है और सजा के निवारण की दृष्टि से एक नंगे बयान के विपरीत की जाती है और यह पुलिस या माता-पिता या किसी अन्य व्यक्ति जैसे प्राधिकरण में किसी व्यक्ति को की जा सकती है, जिसके लिए शिकायतकर्ता सहायता और सुरक्षा की तलाश करने का हकदार है। शिकायत ोें को दर्ज करने और दुर्व्यवहार से सुरक्षा की मांग करने वाली पार्टी का आचरण इस बात का सबूत है कि *यह कैसे हो सकता है।* इन पत्रों को गलत तरीके से साक्ष्य के रूप में अमान्य माना गया है।

(8) अब मैं उन सबूतों की ओर मुड़ सकता हूं जो पति द्वारा एडब्ल्यू 2 के रूप में दिखाई दिए और कहा कि उनकी मासिक परिलब्धियां 118 रुपये थीं, जबकि उनकी पत्नी प्रति दिन 5 रुपये से 6 रुपये तक कमा रही थी। उन्होंने उसके साथ दुर्व्यवहार करने या उसके चरित्र के खिलाफ आरोप लगाने या अपर्याप्त दहेज की शिकायत से इनकार किया। उन्होंने किसी भी विवाद से इनकार किया जब वह अपनी मां को वापस लौटने के लिए मनाने के लिए उनके घर गए थे। उन्होंने जिरह में यह भी

स्वीकार किया कि जब वह पंचायत को उसकी सास के घर ले गए थे, तो श्री मोहन लाल, वकील ने चंदर कांता को अपने पति के साथ उसके घर जाने के लिए मनाने के लिए हस्तक्षेप किया।

(9) ए.डब्ल्यू. 1 मुखी पियारे लाल है। उनका घर डायल चंद से कुछ ही दूरी पर है। उसने केवल इतना कहा कि उसने कभी पति को अपनी पत्नी के साथ क्रूरता करते नहीं देखा था।

(10) पति द्वारा कोई अन्य सबूत पेश नहीं किया गया था।

(11) अपने फैसले में, निचली अदालत ने कहा कि अगर पति ने अपनी पत्नी को ले जाने के अपने अधिकार का उपयोग किया और यदि उस उद्देश्य के लिए, उसने चंदर कांता को उसके हाथ से पकड़ लिया तो कोई मनमानी साबित नहीं हुई। इस अवलोकन से सहमत होना मुश्किल है। वह उसके खिलाफ बल प्रयोग कर रहा था और उसे उसकी इच्छा के खिलाफ खींच रहा था और उसने अपनी मां को पकड़ लिया और जबरन प्रयासों का विरोध करने की कोशिश की, जो उसके पति द्वारा उसे अपने घर में खींचने के लिए किए जा रहे थे। अगर मदन नाम के किसी व्यक्ति ने हस्तक्षेप नहीं किया होता, तो पति उसकी इच्छा के खिलाफ उसे शारीरिक बल से ले जा सकता था। निचली अदालत की इस टिप्पणी से सहमत होना संभव नहीं है कि इन परिस्थितियों में एक पति को अपनी अनिच्छुक पत्नी को जबरन अपने घर में खींचने की अनुमति है यदि वह नहीं आना चाहती है। यह, मेरे विचार में, क्रूर उपचार का एक उदाहरण होगा। पति के इस इनकार को स्वीकार करना फिर से मुश्किल है कि उसने कभी भी उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया और उसने कभी भी उस पर व्यभिचार का आरोप नहीं लगाया या उसने कभी भी श्री मोहन लाल, वकील या किसी और के साथ अवैध संबंधों का संदेह किया। यदि पति ने कभी भी अपनी पत्नी पर व्यभिचार का आरोप नहीं लगाया था, तो यह विश्वास करना मुश्किल है कि वह या उसका भाई वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए पति के आवेदन को विफल करने के लिए झूठे आधार को मजबूत करने के लिए इस आरोप का आविष्कार करेंगे। कोई भी सम्मानित महिला इस तरह के पाठ्यक्रम का सहारा नहीं लेगी और घोषणा करेगी कि उसका चरित्र और उसकी पवित्रता उसके पति द्वारा संदेह का विषय थी। यह हिंदू लड़कियों के आचरण के अनुरूप नहीं है। विचाराधीन मामलों के प्रति निचली अदालत का दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण रहा है। जब एक निर्दोष पत्नी की पवित्रता के खिलाफ आरोप लगाए जाते हैं, तो ये उसकी तीव्र मानसिक पीड़ा का कारण बनते हैं क्योंकि उसके लिए उसकी पवित्रता और अच्छे नाम से ज्यादा कीमती

कुछ भी नहीं है। इस तरह के आरोप एक युवा महिला के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बहुत गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं। शारीरिक हिंसा के रिकॉर्ड पर संतोषजनक सबूत हैं, जब चंदर कांता को गर्भावस्था के उन्नत चरण में होने के दौरान उसके पति द्वारा अधीन किया गया था।

(12) अगला सवाल यह है कि क्या इन परिस्थितियों में, एक पति को वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक डिक्री का हकदार होना चाहिए। ग्रोवर जे. द्वारा सुश्री *गुरदेव कौर* बनाम *भारत मामले में सुविचारित निर्णय में।सरवन सिंह* (1) हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के प्रावधानों का विश्लेषण किया गया: –

"9 (1) जब पति या पत्नी में से कोई एक, उचित बहाने के बिना, दूसरे के समाज से हट गया है, तो पीड़ित पक्ष वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए जिला अदालत में याचिका द्वारा आवेदन कर सकता है और अदालत ऐसी याचिका में दिए गए बयानों की सच्चाई से संतुष्ट होने पर और कोई कानूनी आधार नहीं है कि आवेदन क्यों नहीं स्वीकार किया जाना चाहिए, तदनुसार वैवाहिक अधिकारों की बहाली का आदेश दे सकता है।

(2) वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए याचिका के जवाब में कुछ भी दलील नहीं दी जाएगी जो न्यायिक अलगाव या विवाह की शून्यता या तलाक का आधार नहीं होगा।

(13) यह माना गया था कि यदि न्यायालय किसी याचिकाकर्ता की *प्रमाणिकता से संतुष्ट नहीं है और* पाता है कि याचिकाकर्ता केवल सार चाहता है और विवाहित जीवन के वास्तविक अधिकारों और कर्तव्यों की मांग नहीं करता है, तो उसे क्षतिपूर्ति का आदेश देने से इनकार कर देना चाहिए।

(14) इस मामले में सबूतों पर, मुझे ऐसा लगता है कि यह पत्नी द्वारा परित्याग का मामला नहीं है, बल्कि भागने और अपनी मां और बाद में अपने भाई के घर में शरण लेने के प्रयास का मामला है। वह एक परित्यक्त के बजाय एक शरणार्थी थी और यह नहीं कहा जा सकता है कि चंदर कांता बिना किसी औचित्य के अपने पति के समाज से हट गई थी। ऐसे मामले में कानूनी आवश्यकता यह है कि क्या पत्नी उचित कारण के बिना पति के समाज से हट गई है, और दूसरी आवश्यकता यह है कि अदालत को ऐसी याचिका में दिए गए बयानों की सच्चाई से संतुष्ट होना चाहिए और अंत में, कोई कानूनी आधार नहीं होना चाहिए कि राहत क्यों नहीं दी जानी चाहिए। क्षतिपूर्ति प्रदान करते समय, यह देखा जाना चाहिए कि क्या प्रतिवादी के लिए याचिकाकर्ता को छोड़ने का उचित कारण था, जहां एक उचित बहाना मौजूद है, अदालत अपने विवेक से राहत से इनकार कर सकती है। *गुरदेव कौर के मामले* में फैसले में केस लॉ की समीक्षा की गई है। जहां एक पत्नी अपने पति के घर में आत्म-सम्मान और

गरिमा के साथ नहीं रह सकती है, और जहां उस पर अभद्र और झूठे आरोप और अपमान किए जाते हैं, तो यह उसे अपने पति के साथ रहने से इनकार करने के लिए एक उचित बहाना प्रस्तुत करेगा।

(1) आई.एल.आर. 1959 पंजाब 509, ए.आई.आर. 1959 पंजाब 162.

ग्रोवर, जे.:

जहां पति ऐसे आचरण का दोषी है जो इस अर्थ में कानूनी क्रूरता से कम है कि यह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 10 (एल) (बी) में उल्लिखित क्रूरता नहीं है, लेकिन उसका दुर्व्यवहार या दुराचार ऐसा है कि पत्नी खुद को उससे अलग करने में पूरी तरह से उचित है, पति धारा 9 के तहत अपनी याचिका में सफल नहीं हो सकता है क्योंकि अदालत के लिए यह कहना संभव नहीं होगा कि पत्नी ने बिना उचित बहाना बनाए खुद को उसके समाज से हटा लिया है।

इस प्रकार के मामले में याचिका धारा 9 (2) के तहत पत्नी द्वारा स्थापित किसी भी बचाव के कारण विफल नहीं होगी, बल्कि यह धारा 9 की उप-धारा (1) के आवश्यक अवयवों में से एक को पूरा नहीं करने के कारण सफल नहीं हो सकती है। धारा 9 (1) के प्रावधानों के अलावा, भले ही किसी कार्यवाही का बचाव नहीं किया गया हो, अदालत के लिए धारा 23 (एल) (ए) के तहत संतुष्ट होना अनिवार्य है कि याचिकाकर्ता किसी भी तरह से ऐसी राहत के उद्देश्य से अपनी गलती या विकलांगता का लाभ नहीं उठा रहा है।

इससे स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि न्यायालय याचिकाकर्ता के आचरण को ध्यान में रखने के लिए बाध्य है। यदि याचिकाकर्ता ने अपने स्वयं के कुकर्मों से अपने पति या पत्नी को उसे छोड़ने के लिए मजबूर किया है, तो उसे अपनी गलती का लाभ उठाने और अपने स्वयं के गलत काम को जारी रखने के लिए अदालत की सहायता मांगने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(15) राय में इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक होना चाहिए। कुछ चीजें हैं जो एक महिला, विशेष रूप से भारतीय परंपराओं की पृष्ठभूमि में, पवित्रता से अधिक पसंद करती है और जहां एक महिला के खिलाफ अशुद्धता और व्यभिचार का आधारहीन और निराधार आरोप लगाया जाता है, तो चीजों की प्रकृति में यह उसे अत्यधिक पीड़ा का कारण बनता है। तथ्य यह है कि आरोप पत्नी को संबोधित एक संचार में लगाए गए थे और तब इसे प्रचारित नहीं किया गया था, यह दिखाने के लिए नहीं जाएगा कि निराधार आरोप लगाना एक क्रूर कार्य नहीं था।

(16) पंडित ने श्रीतमति संतोष कौर *बनाम* मेहर सिंह *(3) मामले में* कहा कि जहां पति ने इस आधार पर वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए याचिका दायर की थी कि उसकी पत्नी ने बिना किसी पर्याप्त कारण के खुद को उसकी कंपनी से वापस ले लिया था, तो उसे कोई राहत दिए जाने से पहले इस तथ्य को साबित करना था। सिर्फ इसलिए कि पत्नी अपना बचाव स्थापित नहीं कर सकी कि पति ने उसके साथ क्रूरता से व्यवहार किया था, यह अकेले पति को राहत का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

(17) पक्षों के घरेलू जीवन में जो कुछ हुआ है और उसके पति द्वारा पत्नी के साथ किए गए व्यवहार को देखते हुए, वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए पति का आवेदन सफल होने के लायक नहीं है। इसलिए, मैं अपील को स्वीकार करता हूं और प्रतिवादी के पक्ष में वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा पारित डिक्री को रद्द करता हूं। इन परिस्थितियों में, मैं पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ देता हूं।

के.एस.

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

खुश करण जोत सिंह गिल
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी